RAJYA SABHA

Tuesday, the 4th March, 1997 / 13th Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at Eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Decision by Air India Board for MCLR aircraft

*141. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Air India Board has so far taken any decision on the Report of its sub-committee set up last year on Medium Capacity Long Range (MCLR) Aircraft particularly A-340;

(b) whether the Board sub-committee also took into consideration the techno-economic report prepared by an in-house team of Air India which reportedly favoured Boeing 777, and also Report on A-330 from Director (Engg.) Air India; and

(c) if so, what is the present position and by when final decision is expected to be announced by Government regarding type and number of aircrafts to be bought by Air India?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of Rajya Sabha.

Statement

(a) No, Sir.

(b) A copy of the Techno-economic Evaluation Report was made available to the Members of the Board Sub-Committee. No report was submitted by Director (Engg.) with respect to A-330 aircraft.

(c) No final decision has been taken so far regarding type and number of aircraft to be bought by Air India. Nor is it possible to specify the time frame by which this decision is likely to be taken.

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये दोनों यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने में असमर्थ रही हैं और जैसे-जैसे मांग बढ़ती रही है, विमान खरीदने में बहुत विलंब होता रहा है। उसके कारण विमानों की खरीद में गड़बड़ी भी सामने आई और विमान की सेवा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो पाई।

महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को और मंत्री जी को कि एक पूर्व सरकार ने एयर बस ए-320 खरीदी थी और उसको खरीदने में कितना समय लगा, यह तो आप जानते होंगे लेकिन इतने समय के बाद खरीदने पर भी उसमें दुर्घटनाएं हुईं। गुलाम नबी साहब यहां बैठे हैं, इसलिए शायद वह हंस रहे हैं। उस समय ये नहीं थे, उसके पहले थे। महोदय, उस समय ये बसे खरीदी गईं, करोड़ों-अरबों रुपया देश का इसमें लगा लेकिन इनके आने के बाद कुछ दुर्घटनाएं इस एयर बस में हुईं, कुछ लोग मरे और कुछ खतरनाक दुर्घटनाएं हुईं जिसमें लोग बचे भी। बाद में उस सरकार ने यह तय किया कि इन एयर बसों की जितनी फ्लीट हैं, उसको बंद कर दिया जाए। तो सफेद हाथी की तरह पालम हवाई अड्डे पर उसे बंद कर दिया गया। उसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान इंडियन एयरलाइंस को हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now you please come to the question.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि अभी तक नयी फ्लीट जो खरीदना चाहती है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, उसके बारे में निर्णय करने के लिए कोई टाईम फ्रेम तय नहीं किया जा सकता है। महोदय, यह मामला कई महीनों से, शायद एक-डेढ़ साल से चल रहा है लेकिन अभी तक निर्णय करने में हम लोग असमर्थ हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। सरकार ने कोई प्राथमिकता तय की होगी, मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है? महोदय, निर्णय लेने में देर होने से देश को बहुत नुकसान होता है। दो तरह से नुकसान होता है - एक तरफ प्राईस ऐस्केलेशंस हो जाते हैं विमानों के। उसके कारण देश को ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। दूसरा इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को विमानों की सेवा कम उपलब्ध कराने के कारण नुकसान होता है। मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि आप सदन में इस बात को कमिट करें कि कितने दिनों में आप टाईम फ्रेम तय करेंगे?

MR. CHAIRMAN: You have made your points several times. Please conclude.

श्री रामदास अग्रवाल: यह टाईम फ्रेम आपको तय करना चाहिए। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आप टाईम फ्रेम तय करने के साथ-साथ यह भी बताएं कि अगर इसमें देर लगेगी, विलंब होगा तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईंस को इसके कारण कितना नुकसान उठाना पड़ेगा?

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम: माननीय सभापति जी, जो प्रश्न अग्रवाल जी ने किया है, उसमें उत्तर भी उन्होंने ही बता दिया है। आपने जो प्रश्न किया है, उसके अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है।

श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी: उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम: कोई भी फ्लीट खरीदते वक्त जो परचेजिंग के स्टैप्स इन्वॉल्व्ड हैं, उसमें 17 चीजें हैं, इनमें से 8 चीजें एयर इंडिया को करनी पड़ती हैं और बाकी 9 चीजें गवर्नमैंट को करनी पड़ती हैं। Approval in principle of Board to process acquisition; techno-economic study by a committee constituted by the Board; approval of Board to the recommendation of the above committee; negotiations with the parties shortlisted in the techno-economic study; calling of final financial bids; evaluation of project report; formulation of project report; approval of the project report by the Board of Directors. यह तो 8 हो गए बोर्ड की तरफ से। सरकार की तरफ से हैं-Project report submitted by Air India to the Government for approval; circulation to appraisal agencies for their comments; Pre-PIB meetings; additional information added to the project; financial memorandum; meeting of the PIB under the Chairmanship of Secretary (Expenditure); submission of note by the Ministry of Finance for approval of CCEA; communication of approval to Air India through the Ministry of Civil Aviation; signing of agreements between Air India and the manufacturers.

इन 17 मुद्दों के लिए एक-एक के लिए अगर दो महीने भी आप करें तो 34 महीने इसमें ही लग जाएंगे। आप ही ने कहा कि पहले जो भी सरकार थी इन 17 मुद्दों को करने के बावजूद भी हंगामा हुआ। अगर मैं इसमें एक भी छोड़कर अर्जेन्ट करूं तो मेरी हालत क्या होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें या तो सिस्टम बदले या ऐसी कोई पोलिसी अपनाएं कि कॉमर्शियल आर्गनाइजेशन में जो भी परचेज होती हो चाहे वह परचेज कमेटी में दोनों सदनों का पूर्ण विश्वास रहे और यह कहें कि ओपन ट्रांसपिरेंसी रखकर जो आप करेंगे इसके लिए देश के हित में कॉमर्शियल आस्पेक्ट से हम पूरा विश्वास रखेंगे, आप आगे जाइए। अगर इससे सहमत हो तथा दोनों सदन कहते हैं तो इसमें कोई न कोई हम निर्णय ले सकते हैं, वरना इसके साथ-साथ ही जिस तरह death is true.है इस तरह परचेस के पीछे सी॰बी॰आई॰ का लगाना या कोई जाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना, यह भी टू है।

As Minister, I cannot force the Board to take a decision.

जिस तरह से आपने कहा कि as a Government, Yes. कि कोई भी 10 साल, 20 साल या 3-3 साल तक जा नहीं सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि नया जो बोर्ड बनेगा उस बोर्ड के सामने हम यह बात रखेंगे कि नया बोर्ड चार महीने के अंदर एम॰सी॰एल॰आर॰ को किसी न किसी तरह से फाइनलाइज करना चाहिए, फाइनलाइज करके भेजिए, यह आदेश मैं अपने विभाग से नए बोर्ड को देने वाला हूं।

श्री रामदास अग्रवाल: मुझे लगता है कि मंत्री महोदय कुछ भयग्रस्त हैं। सरकार में जो रहेंगे उनको निर्णय तो लेने पड़ते हैं और निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करना ही अच्छा है और मंत्री जी ने जो यह बात कही है अगर सदन किसी प्रकार से इसमें इंटरवीन करके ट्रांसपिरेंसी के साथ कोई सौदे कराएगा तो शायद आलोचना का विषय कम हो सकता है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है जो अखबार में प्रकाशित हुआ है और उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं — जब बोईंग कम्पनी या एयर बस कम्पनी के लोगों को यह पता चला कि हमारा सलेक्शन होने वाला है, तो इस बारे में जो रिपोर्ट आई है मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके उनका उत्तर चाहूंगा। 28 जनवरी के हिन्दुस्तान टाईम्स में लिखा है—

> "Sensing the mood of Air India including the decision to consider A-330, the US aircraft giant, Boeing, decided to personally inform each Member of the Board about its stand on the issue."

मंत्री महोदय, मैं यह इसलिए ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now you please put the question. Don't elaborate.

SHRI RAMDAS AGARWAL: I am putting the question, Sir.

क्या कमेटी के लोगों को मिलने के लिए आप दोनों कम्पनियों में से किसी भी व्यक्ति को पर्सनली एप्रोच करने के लिए एलाऊ करेंगे? क्या इसके कारण आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार में कुछ और बढ़ोत्तरी होगी या पक्षपात में और ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी या उनको किसने अधिकार दिया कि वह बोर्ड के मैंबरों के पास जाकर पर्सनली अपने प्रोडक्ट के बारे में कंवींस करें। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have put the question. I called the Minister. Please conclude.

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम: जहां तक विषय अखबार में छपते हैं, आजकल हम उसके बारे में ज्यादा ध्यान ऐसे मामलों में देते नहीं हैं। इसकी बजह यह है क्योंकि कम से कम डेढ़ सौ छप रहे हैं। अगर इन पर ध्यान दिया तो मैं दूसरे किसी पर ध्यान नहीं दे सकूंगा। ...(व्यवधान)

श्री रामदास अग्रवाल: हिन्दुस्तान टाईम्स का है।

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम: मैं यह नहीं कहता कि इंपोर्टेंट नहीं है। जब तक या तो आपसे आए या कोई सदस्य कहे कि यह हो रहा है अब जब इवाल्वेशन हो रहा है अगर कोई बोर्ड के डायरेक्टर से मिले या कोई अपनी बात रखे, हम किसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। कोई चीज़ बेचने वाला है और कहता है कि मेरे पास अच्छी है तो ही इज़ फ्री लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमने मंत्रालय से कहा है कि चाहे एयर बस के हों या बोइंग के हों, जो भी कहना है, बोर्ड है, टेक्नीकल कमेटी है, उसके सामने आप कहिए। हमें जो भी इस बारे में चिट्ठी देगा, उस चिट्ठी को हम सीधे बोर्ड के पास भेज देंगे।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। सर, एक क्वेश्चन और है।

MR. CHAIRMAN: You have no new question. Please sit down.

श्री मोहम्मद सलीम: रामदास जी, दूसरे सदस्यों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा कीजिए।

†[ ]जनाब मोहम्मद सलीम: रामदास जी - दूसरे सदस्यों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा कीजिए।]

†[ ]Transliteration in Arabic Script

The Government is committed to transparency in all its parts. (*Interruptions*) I am not coming to the minimum. It is about the medium capacity long-range aircraft. मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है सप्लीमैंटरी का और जो मूल जवाब है, उसमें उन्होंने कहा है कि काफी देर लगती है जबकि मंत्री महोदय ने खुद भी कई जगह यह बताया है कि लेसर गवर्नमैंटल कंट्रोल और मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होना चाहिए। रूल्स और रेग्युलेशन्स के नाम पर वर्षों लग जाते हैं। राजीव गांधी भवन में फाइलें पड़ी रहेंगी सेक्शन ऑफिसर से लेकर अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तक और फिर आप कहेंगे कि इस तरीके के जो अंडरटेकिंग्ज़ हैं, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है और दूसरे भी डिपार्टमैंट हैं, कि वे सही और कॉमर्शियली वॉयेबल जजमैंट लें, यह नहीं हो सकता है। जितनी डिले होती है उससे प्रोजेक्ट वॉयेबल नहीं हो सकता है। आपको पता है कि यह अलग किस्म का मामला है। मेरा सवाल यह है कि एम॰सी॰एल॰आर॰ खरीदने का ओरिजिनल प्रपोज़ल कब मूव हुआ? और यह जो आप बता रहे हैं कि टेक्नो-इकानॉमिक इवैल्युएशन रिपोर्ट गवर्नमैंट को मिली है, तो वह कब मिली? फिर कमेटी के बाद आप रिव्यू कमेटी, उसके बाद और कमेटीज़ बनाते हैं तो हुकूमत यह क्यों बनाती है? मिनिस्ट्री क्यों बनाती है? आप एक तरफ कहते हैं कि

[मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है सप्लीमैंटरी का और जो मूल जवाब है - उसमें उन्होंने कहा है कि काफी देर लगती है जबकि मंत्री महोदय ने खुद भी कई जगह यह बताया है कि लेसर गवर्नमैंटल कंट्रोल और मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होना चाहिए। रूल्स और रेग्युलेशन्स के नाम पर वर्षों लग जाते हैं। राजीव गांधी भवन में फाइलें पड़ी रहेंगी सेक्शन ऑफिसर से लेकर अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तक और फिर आप कहेंगे कि इस तरीके के जो अंडरटेकिंग्ज़ हैं, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है और दूसरे भी डिपार्टमैंट हैं, कि वे सही और कॉमर्शियली वॉयेबल जजमैंट लें, यह नहीं हो सकता है। जितनी डिले होती है उससे प्रोजेक्ट वॉयेबल नहीं हो सकता है। आपको पता है कि यह अलग किस्म का मामला है। मेरा सवाल यह है कि एम॰सी॰एल॰आर॰ खरीदने का ओरिजिनल प्रपोज़ल कब मूव हुआ? और यह जो आप बता रहे हैं कि टेक्नो-इकानॉमिक इवैल्युएशन रिपोर्ट गवर्नमैंट को मिली है, तो वह कब मिली? फिर कमेटी के बाद आप रिव्यू कमेटी, उसके बाद और कमेटीज़ बनाते हैं तो हुकूमत यह क्यों बनाती है? मिनिस्ट्री क्यों बनाती है? आप एक तरफ कहते हैं कि]

انڈیا ہے انڈین انکم لا کمیٹی ہے - اور دوسرے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں کہ وہ سسٹم اور کامرشیل وائبل انجمینٹ لیں - یہ نہیں ہو سکتا ہے - جتنی ڈیلے ہوتی ہے اس سے پروجیکٹ وائبل نہیں ہو سکتا آپکو پتہ ہے کہ یہ الگ قسم کا معاملہ ہے - میرا سوال یہ ہے کہ ایم سی ایل آر خریدنے کا اوریجنل پرپوزل کب موو ہوا - اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیکنو اکانومک ایویلویشن رپورٹ گورنمنٹ کو ملی ہے - تو وہ کب ملی - پھر کمیٹی کے بعد آپ رومیٹو کمیٹی اس کے بعد اور کمیٹیز بناتے ہیں - تو حکومت یہ کیوں بناتی ہے - منسٹری کیوں بنتی ہے - آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ:

The Government will not exercise any discretionary power. और दूसरी तरफ you put your people in the form of a Committee और जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल होते है पिछली तमाम डीलिंग्ज़ में, ऐसे लोगों को आप इवैल्यूएशन कमेटी में क्यों रखते हैं? परचेज़ कमेटी में क्यों रखते हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या आप यह गारंटी दे सकेंगे कि एम॰सी॰एल॰आर॰ आइडेंटीफिकेशन करने के लिए आप जो भी कमेटी बना रहे हैं और जितनी भी रिव्यू कमेटीज़ बनाएंगे, उनमें ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे जो पिछली किसी न किसी डीलिंग में, किसी न किसी लीज में, किसी न किसी तरह के गलत काम में फंस चुके हों और सी॰बी॰आई॰ और पब्लिक की नज़र उन पर पड चुकी हो? ऐसा ऐश्योरेंस आप दे सकते हैं?

†[اور دوسری طرف "یو پٹ یور پیوپل ان دی فورم آف اے کمیٹی" اور جو آل ریڈی کنٹروورشیل ہوتے ہیں پچھلی تمام ڈیلنگز میں - ایسے لوگوں کو آپ ایویلوایشن کمیٹی میں کیوں رکھتے ہیں - پرچیز کمیٹی میں کیوں رکھتے ہیں - میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو بھی کمیٹی بنا رہے ہیں اور جتنی بھی رومیٹو کمیٹیز بنائینگے ان میں ایسے لوگوں کو نہیں رکھیں گے جو پچھلی کسی نہ کسی ڈیلنگ میں کسی نہ کسی لیز میں کسی نہ کسی ملز کے غلط کام میں پھنس چکے ہیں اور سی بی آئی اور پبلک کی نظروں پر چڑھ چکی ہو - ایسا ایشورینس آپ دے سکتے ہیں -]

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम: सर, जहां तक कमेटी बनाने का सवाल है, कमेटी गवर्नमेंट नहीं बनाती है। हम इस मामले में जाते ही नहीं हैं। आज तक कोई रिपोर्ट इसके बारे में गवर्नमेंट के पास नहीं आई है। बोर्ड पे कमेटीज़ बनाते हैं। जो भी रिपोर्ट आती है वह बोर्ड के पास आती है। ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद फिर गवर्नमेंट के पास आती हैं। आज तक हमारे पास न कोई फाईल आई है, न इसके बारे में हमारे सामने कोई फाईल पैंडिंग है।

SHRI MD. SALIM: I have not got the answer. सब कमेटी तो बोर्ड बनाता है लेकिन बाकी जो कमेटीज़ बनती हैं, वह मिनिस्ट्री बनाती है।

†[سب کمیٹی تو بورڈ بناتا ہے لیکن باقی جو کمیٹیز بنتی ہیں وہ منسٹری بناتی ہے -]

†[ ]Transliteration in Arabic Script

The Board is constituted by the Ministry.

श्री सी० एम० इब्राहीम: सर, बोर्ड को गवर्नमेंट ने कंस्टीट्यूट किया है लेकिन जितनी कमेटीज़ हैं, सब कमेटीज़, टेक्नीकल कमेटीज़, इनको बोर्ड कंस्टीट्यूट करता है। अगर ऑनरेबल मैम्बर को यह लगे कि कमेटी में कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर कोई अपवाद है तो वे ज़रूर हमें दे दें, हम इस बात को बोर्ड को ज़रूर बताएंगे।

SHRI MD. SALIM: The point is that the Government can give general directions to the Board.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY : Sir, Visakhapatnam on the East Coast after Chennai and Calcutta is a developed city having more industries. Many more multi-national industries are also coming up. So, there is every necessity for an international air port there. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to set up an international airport there, because the Visakhapatnam Port Authority is prepared to give land on long-term basis.

MR. CHAIRMAN: The question is different.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Sir, it is about MCLR. I want to know whether there is any proposal to set up an international airport there, because the Visakhapatnam Port Authority is prepared to give land.

MR. CHAIRMAN: If the Minister wants to give an answer outside the question, he may, but this question is not relevant.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, I would like to know whether the Government has enough powers to intervene and issue general directions to the Board what it should do and what it should not do. Secondly, I would like to know whether there is any press report—I know he is very insensitive to press reports, he does not bother about press reports—which has appeared attributing a statement to the Minister that he would prefer the CBI people to sit in the Purchasing Committee. Is it a fact or not? If it is a fact, then what has he to say in this respect?

SHRI C.M. IBRAHIM: Sir, the Government have issued some broad guidelines. But as far as various purchases are concerned, we have said that it is within the powers of the Board and the Technical Committee and whatever they decide, we will evolve it and send it to the quarter concerned. But as far as detailing of CBI personnel to the Purchasing Committee is concerned, I do not know about it nor have we said it. But as far as the question of transparency is concerned, we are trying our level best to have an open, transparent policy to maintain transparency in respect of MCLR and other projects.

*142. *[The questioner (Shri Anantray Devshanker Dave) was absent. For answer vide Col. 27 infra]*

*143. *[The questioner (Shri Amar Singh) was absent. For answer vide Col. 27 infra]*

Legislation to regulate functioning of private financial companies

*144. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the public have been duped to the tune of about Rupees one hundred crores by private financial companies;

(b) if so, whether Government have finalised the comprehensive legislation to regulate the functioning of private financial companies;

(c) if so, the details thereof; and

(d) when Government propose to introduce the legislation in the House?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.